158

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2338-दो/2001 - विरूद्ध आदेश दिनांक 25-10-2001 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना - प्रकरण कमांक 14/1991-92 अपील

1- गुटई पुत्र मुकन्दी 2- श्रीपति पुत्र नेहने
3- अंगद पुत्र बल्ला 4- सोनपाल पुत्र बल्ला
5- रामरतन पुत्र धन्सू सभी निवासी ग्राम
कुल्होली तहसील सवलगढ़ जिला मुरैना --आवेदकगण

विरूद्ध

1- भैरोलाल पुत्र नारायण
2- रामचरण पुत्र नारायण
नवासी ग्राम कुल्होली
तहसील सवलगढ जिला मुरैना ----अनावेदकगण
3- मूला पुत्र मुकन्दी
4- भरोसा पुत्र मुकन्दी ग्राम कुल्होली
तहसील सवलगढ़ जिला मुरैना --तरतींवीं अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री आशीष कुमार बंसल)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 24-6 -2016 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, चम्बल संभाग,मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 14/1991-92 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-10-2001 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम कुल्होली की भूमि सर्वे कमांक 296 रकबा 6 विसवा में कुआ स्थित है । कुये का पानी

अनावेदक क्रमांक 1 व 2 अपनी भूमि सर्वे क्रमांक 285 रकबा 2 बीघा 12 विसवा की फसल सिंचाई हेतु करते आ रहे थे, किन्तु आवेदकगण ने अनावेदकगण को सिंचाई हेतु पानी ले जाने से रोक दिया। अनावेदकगण ने तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 131 के अंतर्गत आवेदन देकर सुखाचार की पूर्वानुसार व्यवस्था दिलाये जाने का अनुरोध किया। तहसीलदार ने वाद जांच अंतरिम आदेश दिनांक 21-3-1975 से अंतरिम व्यवस्था करते हुये आवेदकगण को आवेदकगण के खेत में पानी ले जाने की अनुमति देते हुये मुचलके लिखाये। वाद में प्रकरण विभिन्न, निगरानी/अपीलीय न्यायालयों में इस प्रकार विचाराधीन हुये :-

| न्यायालय का नाम | आदेश दिनांक | निराकरण का सार |
|---|---|---|
| तहसील न्यायालय सवलगढ़ (मूल न्यायालय) | 21-3-1975 | सुखाचार हेतु पूर्वानुसार अस्थाई व्यवस्था कराई |
| अपर कलेक्टर मुरैना | 12-5-1976 | निगरानी निरस्त |
| राजस्व मण्डल ग्वालियर | निगरानी निरस्त - थ्रू प्रोपर चैनल से आने के निर्देश | |
| अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना | 28-7-1980 | निगरानी निरस्त |
| तहसील न्यायालय सवलगढ़ (मूल न्यायालय) | 12-12-1983 | सिंचाई करने की अनावेदकगण को सुविधा प्रदान कराई। |
| अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ (प्रथम अपील) | 25-3-1985 | तहसील का आदेश निरस्त, पुनःसुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित |
| तहसील न्यायालय सवलगढ़ (मूल न्यायालय) | 27-6-1989 | सिंचाई करने की अनावेदकगण को सुविधा प्रदान कराई। |

| | | |
|---|---|---|
| अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ (प्रथम अपील) | 10-4-1991 अपील निरस्त | तहसील का आदेश यथावत् |
| अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना (द्वित्तीय अपील) | 25-10-2001 अपील निरस्त | दोनों अधीनस्थ न्याया.के आदेश यथावत् |

अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा द्वित्तीय अपील प्रकरण कमांक 14/1991-92 में पारित आदेश दिनांक 25-10-2001 से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। मूल अनावेदक एंव तरतीवीं अनावेदक बार-बार सूचना देने के वाद एंव सूचना पत्रों का सम्यक निर्वहन न होना पाते हुये पंजीकृत डाक से सूचना देने के वाद अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से तहसील न्यायालय में अनेक बार प्रकरण जॉच हेतु पहुंचने से यह तथ्य निर्विवाद रूप से सामने आया है कि ग्राम कुल्होली की भूमि सर्वे कमांक 296 रकबा 6 विसवा में स्थित कुआ के पानी से अनावेदक कमांक 1 व 2 भूमि सर्वे कमांक 285 रकबा 2 वीघा 12 विसवा में सिंचाई पूर्व से अर्थात रूढ़िगत रूप से पानी ले जाते रहे है क्योंकि बार-बार जॉच किये जाने पर यह तथ्य प्रमाणित हो चुका है। उपरोक्त पद 2 में आये विवरण से एंव अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा आदेशों में की गई विवेचनाओं से भी प्रमाणित हो चुका है कि विवादित कुआ के पानी से अनावेदक कमांक 1 व 2 अपने खेत की फसल सिंचाई रूढ़िगत रूप से करते आ रहे है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन निगरानी में अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा बार-बार निकाले गये स्पष्ट निष्कर्षो में

किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने अपील प्रकरण क्रमांक 14/1991-92 में पारित आदेश दिनांक 25-10-2001 से अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 14/1991-92 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-10-2001 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर